

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजरख अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2013

विषय : वर्ष 2013-14 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत तात्कालिक राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-3 / 2013-एन0डी0एम0-1 दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-3570 / 1-10-2013-12(34) / 2003टी.सी.-1, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 द्वारा राहत कार्य एवं कम्बल आदि तथा अलाव हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुये कमशः रू0 5.00 लाख एवं रू0 50.00 हजार अर्थात् कुल धनराशि रू0 5,50,000 / - प्रति तहसील की दर से आवंटित की जा चुकी है।

2- प्रदेश में वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक ठण्ड से शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

3- अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि वर्तमान समय में अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचने के लिए अलाव मद में आवंटित धनराशि का सदुपयोग शासनादेश में दिये गये व्यवस्थानुसार किया जा रहा है।

4- इसी प्रकार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को तत्काल राहत कार्य, कम्बल आदि का वितरण भी उक्त शासनादेश दिनांक 19.11.2013 तथा शासनादेश संख्या-3570(1)/1-10-2013-12(34)/2003टी.सी.-1, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 में दिये गये व्यवस्थानुसार कराना सुनिश्चित करें।

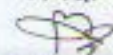
5 यह भी सुनिश्चित करें कि शीतलहरी के कारण किसी प्रकार की जनहानि की सम्भावना न हो। इसके लिए जो भी चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधा की आवश्यकता हो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ठण्ड, धुन्ध, कोहरे आदि से किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसको ध्यान रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो विद्यालयों के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को आवश्यकतानुसार बन्द रखने पर विचार किया जाए।

6- यह भी कहना है कि उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त और धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकतानुसार अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

7- कृपया शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुपालन आख्या राहत कन्ट्रोल रूप फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रत्येक दिन शाम 4.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।